छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
—:: अधिसूचना ::—

नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15.03.2023

क्रमांक एफ 5—12/2022/29—2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2019 की सं. 35) धारा 28 की उपधारा 2 (क) एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रकिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 6(क) के अंतर्गत गठित चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 04 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु इसमें से जो भी पहले हो तक के लिये नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम	पता	जिला उपभोक्ता आयोग
1	श्री गोपाल रंजन पाणिग्रही,	मकान नं. 4, निलांचल विहार कचना रेल्वे क्रासिंग के पास, पो.आ. शंकरनगर रायपुर	धमतरी
2	श्री डाकेश्वर प्रसाद शर्मा,	"बृज छाया", छत्रपति वीर शिवाजी स्कूल के पीछे, मलसाल तालाब रोड पीयूष नगर, कुशालपुर, रायपुर	रायपुर
3	सुश्री रंजना दत्ता,	एल.आई.जी.—72, फेस—2, आर.पी.नगर निहारिका, जिला—कोरबा छ.ग.	कोरबा
4	श्री आनन्द कुमार सिंघल,	97, जे.पी. विहार, मंगला रोड, बिलासपुर छ.ग.	बिलासपुर
5	श्री संतोष कुमार,	चाणक्य नगर, थाना—सरायढेला डाकघर—के.जी. आश्रम, जिला—धनबाद झारखण्ड—826008	दुर्ग
6	श्री राकेश पाण्डेय,	4— बंगलोज, काली मंदिर के पास केदारपुर रिंगरोड अंबिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग.	सरगुजा
7	श्रीमती सुजाता जसवाल,	सनसिटी, सन हेरिटेज अपार्टमेंट ए—203, जगदलपुर, जिला—बस्तर छ.ग.	जगदलपुर—बस्तर
8	प्रशान्त कुन्डू,	सिविल लाईन्स, बंगाली पारा, होटल गुडलक के सामने, तह. व जिला—रायगढ़ (छ.ग.)	जांजगीर—चांपा

2/ **नियुक्ति की शर्तें–**

1) जिला आयोग के अध्यक्ष को पदभार ग्रहण करने से पूर्व उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रकिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 6(12) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र तथा नियम 6(13) के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे जिनसे अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

2) जिला आयोग के अध्यक्ष के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण(राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम 2020 के अनुसार होगी।

3) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रकिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 एवं छत्तीसगढ़ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम 2020 के अध्यधीन होगी।

4) चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । निर्धारित समय सीमा मे कार्यभार ग्रहण नही करने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार सोनी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5—12 / 2022 / 29—2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15 03.2023

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नया रायपुर।
5. समस्त संभागायुक्त, छ.ग.।
6. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर।
7. कलेक्टर, जिला — धमतरी, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, जांजगीर—चांपा छत्तीसगढ़।
8. रजिस्ट्रार, छ.ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर।
9. जिला चिकित्सा अधिकारी जिला — धमतरी, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, जांजगीर—चांपा छत्तीसगढ़।
10. जिला उपभोक्ता आयोग, जिला — धमतरी, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, जांजगीर—चांपा छत्तीसगढ़ ओर सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. सर्वसंबंधित .श्री / सुश्री ....
12. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर अधिसूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर 100 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग